## Office of the Comptroller & Auditor General of India New Delhi -110 124

(For exclusive use in IA&AD and not to be quoted or published elsewhere) Circular No. 34 - Staff (App 1)/2017 No.1062 - Staff (App 1)/27-2010 Dated 20. 07.2017

To

- 1. All Heads of Department in the IA&AD
- 2. Director General (Examination)
- 3. Principal Director (Commercial)
- 4. Principal Director (Rajbhasha)

Director (P)

Subject:

Recruitment Rules to the post of Junior Translator in Indian Audit and Accounts Department.

Sir/Madam,

I am to enclose a copy of Recruitment Rules to the post of Junior Translator in Indian Audit and Accounts Department, notified in Gazette of India, Part II Section 3 Sub-Section (i) vide GSR No. 216 dated 16.06.2017 for appropriate action.

- 2. These rules have been notified in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Junior Translator) Recruitment Rules 2000.
- The receipt of this circular may be acknowledged

Yours faithfully,

(V. S. Venkatanathan)

Assistant Comptroller and Auditor General (N)



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक

सं. 24]

नई दिल्ली, जून 18—जून 24, 2017, शनिवार/ज्येष्ठ 28—आषाढ़ 3, 1939

WEEKLY

No. 24

NEW DELHI, JUNE 18—JUNE 24, 2017, SATURDAY/ JYAISTHA 28— ASADHA 3, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 16 जून, 2017

सा.का.नि. 216.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, (किनष्ठ अनुवादक) भर्ती नियम, 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में किनष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, कनिष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 2017 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3668 GI/2017

- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,-
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बांबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए भारत के लेखा और लेखा परीक्षा विभाग में नियोजित व्यक्तियों पर लागू होने वाले आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंद्ध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अनुवादक	320* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिविय।	स्तर-6	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणः आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर

			नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के
	× ×		लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश
			के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी
			उप-खंड, अंडमान और
· - > vi			निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए
	- " - ×		विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित भर्ती सीधी होगी य प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति य आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितये द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर	लागू नहीं होता।	2 वर्ष।	सीधी भर्ती।  टिप्पण 1: पदधारी की प्रतिनियुक्ति य लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी य किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एव वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तिय भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के पदधारियों में से जिसके न हो सकर पर केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से उस स्थान पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगीं और दोनों के न हो सकरी
गंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप गं रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या केसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी गाध्यम से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी वेषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर गंग्रेजी माध्यम रहा हो और हिंदी एक अनिवार्य गा वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या			पर केन्द्रीय सरकार के अन्य स्थानों से ऐसे अधिकारी :  (क) नियमित आधार पर सदृश् पदधारण किए हुए हैं ; और
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो		x, = ,	(ख) जिनके पास स्तंभ (7) यथाविनिर्दिष्ट शैक्षिक और अन्य अर्हताप हैं। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उस्
और दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और (ii) जिनके पास हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद पाठ्यक्रम का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र हो या केन्द्रीय या राज्य सरकार में जिसके अंतर्गत भारत सरकार का			या किसी अन्य संगठन या विभाग में इ नियुक्ति से ठीक पहले धारित किस् अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है साधारणतया तीन वर्ष अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति प नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीम्

उपक्रम भी है हिंदी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का दो वर्ष का अनुभव हो I	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी I
टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए	
जाएँ सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन अयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।	
टिप्पण 2 : अनुभव संबधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ सक्षम प्राधिकारी या	
कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों	
की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी	
चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित	
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	

प्रोन्नति या	प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएग
	(11)
	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा (13)		
(12)				
विभागीय पुष्टि सुमिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-	9 <del>-</del> 1-530 \$	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं हैं।		
1. ज्येष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक	- अध्यक्ष	The section of the se		
2. उप महालेखाकार या उप निदेशक				
3. ज्येष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी - सदस्य		The second secon		

[फा. सं. ए-12018/1/2011-ई.जी.]

निर्मला देव, उप सचिव

### MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 16th June, 2017

G.S.R. 216.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India and in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Junior Translator) Recruitment Rules 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translator, in the field offices of the Indian Audit and Accounts Department, namely:-

- Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department, Junior Translator Recruitment Rules, 2017.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in the pay matrix.— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification.—No person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Comptroller and Auditor-General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Comptroller and Auditor-General of India is of opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Competent Authority or the Staff Selection Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard, as applicable to persons employed in the Indian Audit and Accounts Department.

#### SCHEDULE

				SCHEDULE	
Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non- selection post	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Translator	320* (2017)  * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' Non- Gazetted, Non- Ministerial	Level 6	Not applicable	Not exceeding 30 years.  (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himanchal Pradesh, Andaman

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(i) Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or	Not applicable	Two years

	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
Master's degree of a recognised University in English	
with Hindi as a compulsory or elective subject or as	and and the American property and the
the medium of examination at the degree level;	
or	the same and the same of the s
Master's degree of a recognised University in any	
subject other than Hindi or English, with Hindi	the state of the s
medium and English as a compulsory or elective	
subject or as the medium of a examination at the	Company of the compan
degree level;	A Colombia Colombia
or	
Master's degree of a recognised University in any	Andrew III and a supply of
subject other than Hindi or English, with English	The second secon
medium and Hindi as a compulsory or elective subject	
or as the medium of a examination at the degree level;	The second secon
or Master's Degree of a recognised University in any	and the state of t
subject other than Hindi or English, with Hindi and	
English as compulsory or elective subjects or either of	
the two as a medium of examination and the other as a	
compulsory or elective subject at degree level; and	
(ii) Possessing a recognised Diploma or Certificate	
course in translation from Hindi to English and vice	
versa or two years' experience of translation work	
from Hindi to English and vice versa in the Central or	CONTRACTOR OF THE STATE OF
State Government, including Government of India	
Undertaking.	
N. 1. 0. 10	The second of th
Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of	
the Competent Authority or the Staff Selection	W series and a series of the s
Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	
case of candidates otherwise well qualified.	
Note 2: The qualification regarding experience is	the mark to the
relaxable at the discretion of the Competent Authority	
or the Staff Selection Commission, for reasons to be	
recorded in writing, in the case of candidates	and the same of th
belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if	
at any stage of selection the Competent Authority or	The second secon
the Staff Selection Commission is of the opinion that	
sufficient number of candidates from these	
communities possessing the requisite experience are	
not likely to be available to fill up the posts reserved	
for them	

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	
(10)	(11)	(12)	(13)	
Direct recruitment Note 1: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study, leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from amongst officials of Indian	Not applicable	Departmental Confirmation Committee consisting of:  1. Senior Deputy Accountant General or Director — Chairperson	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.	

Audit and Accounts Department failing which, from the Central Government offices at the same station and failing both, from the Central Government offices at other stations- (a) holding analogous post on a regular basis;	Deputy Accountant General or Deputy Director —Member      Senior Audit Officer or Senior Accounts Officer —Member	
(b) Possessing the educational and other qualifications as specified in column (7).  Note 2: Period of deputation		
including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall		
ordinarily not exceed three years.  The Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A-12018/1/2011-EG] NIRMALA DEV, Dy. Secy.

# स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मृंत्रालय

नई दिल्ली, 12 जून, 2017

सा.का.नि. 217.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्टाफ कार ड्राईवर विशेष ग्रेड पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्टाफ कार ड्राईवर पद्/विशेष ग्रेड), समूह 'ख' भर्ती नियम, 2017 है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण वितन मेट्रिक्स में लेवल.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य कृति वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरईतारं—वह व्यक्ति-